

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 21 मई, 2021

संख्या 18/जीएसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2021, कहे जा सकते हैं।
(2) ये नियम प्रथम मई, 2021 से लागू हुए समझे जाएंगे।
- हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हे, इसमें, इसके पश्चात्, उक्त नियम कहा गया है), में, नियम 36 में, उपनियम (4) में,-

(i) प्रथम परंतुक के बाद अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, "':" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह भी कि उक्त शर्त अप्रैल और मई, 2021 की अवधि के लिए संचयी रूप से लागू होगी और मई, 2021 की कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की विवरणी, उक्त महीनों के इनपुट कर प्रत्यय का उपर्युक्त शर्तों के अनुसार संचयी रूप से समायोजन करके प्रस्तुत की जाएगी।"

- उक्त नियमों में, नियम 59 में, उपनियम (2) में, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, मास अप्रैल 2021 के लिए, बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए ऐसे ब्यौरों को, मई 2021 के प्रथम दिन से मई, 2021 के 28वें दिन तक प्रस्तुत कर सकता है।"

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification**

The 21st May, 2021

No.18/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

1. (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall be deemed to have come into force from 1st day of May, 2021.

2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 36, in sub-rule (4), in the first proviso,-

(i) for the sign “;” existing at the end, the sign “:” shall be substituted;

(ii) the following proviso shall be added, namely:-

“Provided further that such condition shall apply cumulatively for the period April and May, 2021 and the return in **FORM GSTR-3B** for the tax period May, 2021 shall be furnished with the cumulative adjustment of input tax credit for the said months in accordance with the condition above.”;

3. In the said rules, in rule 59, in sub-rule (2), the following proviso shall be added, namely:-

“Provided that a registered person may furnish such details, for the month of April, 2021, using IFF from the 1st day of May, 2021 till the 28th day of May, 2021.”.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.